

"कार्यालय ज्ञाप"

शासनादेश संख्या--2795 / 111(1) / 13-190(पी0डब्लू0डी0) / 2001 130-26 12.11.11 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में पूर्व से सृजित क्षेत्रीय कार्यालयों के आने के दो नव सृजित क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून / हल्द्वानी का सृजन किया गया है। दिनांक- 08.01.2014 को अधाहरताक्षरी के समक्ष समस्त मुख्य अभियन्ताओं से हुए विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया, कि शासनादेश संख्या-2054 / पी0डब्लू0डी0 / अधि0-2001-190पी0डब्लू0डी0-2001 दिनांक-11.07.2001 एवं शासनादेश सं0-834 / 111(1) / 08-190(पी0डब्लू0डी0) / 2001 टी0पी0-2 दिनांक-06.10.2006 द्वारा नियमित कार्यप्रभारित अधिष्ठान में पदों का सृजन किया गया है जिन पर कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी:-

1. नियमित/अनियमित कार्यप्रभारित कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची पूर्व की भांति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता पौड़ी/अल्मोड़ा के अधीन रहेगी ✓
2. अनियमित कार्यप्रभारित से नियमितीकरण हेतु तारिखतम मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष होय एवं अन्य मुख्य अभियन्ता समिति में सदस्य होंगे।
3. अनियमित कार्मिकों से नियमितीकरण हेतु दोनों क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आपसी समन्वय से नियमितीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
4. आउट सोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों हेतु शासनादेश संख्या-2831 / 111(1) / 13-2001 (अधि0) / 05 दिनांक-26.12.2013 के बिन्दु संख्या-04 के उपबिन्दु-04 का सञ्चालन कार्य लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कनिष्ठ अभियन्ता / मिनिस्ट्रीयल / चतुर्थ श्रेणी आदि के कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं गतव आश्रितों की नियुक्ति इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-555 / 01व्यख-सा0(2) / 12 दिनांक-19.11.2012 के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप पूर्व की भांति मुख्य अभियन्ता, (गढ़वाल/कुमायू) क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा के अधीन रहेगा तथा प्रोन्नति के प्रकरणों पर कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा पूर्व की भांति की जाती रहेगी।
2. उक्त के अतिरिक्त अपने अधीन अधिष्ठान के अन्तर्गत अन्य कार्य यथा अवकाश, वेतन निर्धारण/ए0सी0पी0 का लाभ/वार्षिक गोपनीय आख्या/अनुशासनात्मक कार्यवाही, वार्षिक वेतन वृद्धि/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा/सूचना का अधिकार इत्यादि का करण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं के अधीन रहेगा।
3. इस कार्यालय को सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों जैसे पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की अनुशंसा/संस्तुति आवश्यक होगी।
4. क्षेत्रान्तर्गत गतिमान परिवाद/जांच सम्बन्धी प्रकरण तथा आविर्द्धान का मामले निम्न मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायू) क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा वर्तमान में पदों नामित हैं, वह यथावत् रहेगे।

(इ0 लालित मोहन)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
केशर

